(वाद सं0.-4839/4/39/2023)

31-10-2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, योगेन्द्र पासवान, सेवानिवृत्त, चोकिदार, बिहार राज्य आवास बोर्ड, अवसंरचना प्रमंडल से दिनांक–31.10.2018 को सेवानिवृत्ति होने के उपरान्त उपादान की राशि के भुगतान में बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के द्वारा विलंब किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना** के माध्यम से **सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी, योगेन्द्र पासवान, सेवानिवृत, चौकिदार, बिहार राज्य आवास बोर्ड, अवसंरचना प्रमंडल के उपादान मद की कुल राशि रू0 5,88,097/–(पांच लाख अठासी हजार सन्तानवे) रूपये मात्र का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (NEFT/RTGS) से उनके भारतीय स्टेट बैंक, कंकड़बाग शाखा, पटना के खाता सं0–10533972103 एवं IFSC Code- SBIN0001389 में भुगतान कर दिया गया है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा निस्तारण किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में **सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–09–06/प0) सलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव